रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274548
CG-DL-E-16072026-274548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3716]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948**
No. 3716]	**NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सं. 23 /2026-27

विषय: बलपूर्वक श्रम का उपयोग करके उत्पादित माल के आयात पर प्रतिबंध - विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में पैरा 2.20ख और पैरा 11.64 को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 3879(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नानुसार विदेश व्यापार नीति, 2023 में एक नया पैरा 2.20 ख शामिल करती है जो इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

पैरा 2.20 ख : बलपूर्वक श्रम का उपयोग करके उत्पादित या निर्मित माल के आयात पर प्रतिबंध:

बलपूर्वक श्रम का उपयोग करके, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उत्पादित या निर्मित वस्तुओं का आयात निषिद्ध है। केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से उन वस्तुओं को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनका आयात इस प्रावधान के अंतर्गत निषिद्ध होगा। ऐसा करते समय सरकार ऐसी जांच के निष्कर्षों अथवा अन्य किसी सामग्री, जिसे वह उपयुक्त समझे, को ध्यान में रखेगी। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में बलपूर्वक श्रम के उपयोग की जांच करने की प्रक्रिया महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 में निर्धारित की जाएगी।

2) एफटीपी, 2023 के अध्याय 11 (परिभाषा) के तहत एक नया पैरा 11.64 जोड़ा गया है

11.64 "बलपूर्वक श्रम" से अभिप्राय ऐसे समस्त कार्य या सेवा से है, जो किसी व्यक्ति से किसी दंड अथवा दंड के भय के अधीन कराई जाती है तथा जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ प्रदान नहीं की हों, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बलपूर्वक श्रम अभिसमय, 1930 (संख्या 29) में परिभाषित किया गया है।

अधिसूचना का प्रभाव: यह अधिसूचना एफटीपी, 2023 में पैरा 2.20ख शामिल करती है, जिससे केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा, बलपूर्वक श्रम के उपयोग के माध्यम से पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के आयात को निषिद्ध करने का अधिकार मिलता है। यह अधिसूचना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बलपूर्वक श्रम अभिसमय, 1930 (संख्या 29) के अनुरूप "बलपूर्वक श्रम" की परिभाषा निर्धारित करने हेतु नया पैरा 11.64 भी शामिल करती है। इसके माध्यम से बलपूर्वक श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं के आयात को निषिद्ध करने संबंधी एफटीपी के प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इस अधिसूचना के प्रावधान इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रभावी होंगे।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. के-31013/1/2026-डीआइआर एनएएफटीए-भाग(4)]

लव अग्रवाल,महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE VANIJYA BHAWAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

No. 23/2026-27

Subject: Prohibition on Import of Goods Produced Using Forced Labour – Insertion of Para 2.20B and Para 11.64 in the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 – Reg.

S.O. 3879(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby inserts a new Para 2.20B in Foreign Trade Policy, 2023 as follows with immediate effect:

Para 2.20B: Prohibition of import of goods produced using forced labour:

The import of goods produced, wholly or in part, using forced labour is prohibited. The Central Government may, from time to time, notify the goods the import of which shall be prohibited under this paragraph, having regard to such enquiry or other material as it may consider appropriate. The procedure for enquiry by the Director General of Foreign Trade into the use of forced labour in the production of such goods is prescribed in the Handbook of Procedures, 2023.

2) A new para 11.64 is added under Chapter 11 (Definition) of the FTP, 2023

11.64 "Forced Labour" means all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily, as defined under the ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29).

Effect of the Notification: Paragraph 2.20B of the FTP, 2023 **has been inserted to prohibit the import of goods** produced **wholly or in part using** forced labour, with immediate effect. Further, the term "Forced Labour" has been defined by insertion of new Para 11.64 under Chapter 11 (Definitions) of the FTP, 2023, in accordance with the definition contained in the ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29). This amendment enables the Central Government to impose prohibitions, wherever considered necessary, on products relating to forced labour,

in addition to products of prison labour, thereby aligning the FTP with internationally recognised labour standards and strengthening India's commitment to promoting ethical and responsible trade practices.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. K-31013/1/2026-DIR NAFTA-Part(4)]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.16 15:55:34 +05'30'